प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 16 जून, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31014/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-08.12.2020) दिनांक-17.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, मौ0 सहाब राय, थाना-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी तहसील में टाईपिस्ट का कार्य करता था, उसका वादी प्रदीप कुमार गर्ग, अधिवक्ता के घर आना जाना था। दिनांक 27.11.2003 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया तथा उसके अपहरण के बदले 10 लाख रू0 वसूलने में असफल होने व अपहृत अभिषेक को उन पर शक हो जाने के कारण उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांट कर अलग-2 बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल में खेतों में दाब देने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004, में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 09 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.01.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से पास-पड़ौस में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी तहसील में टाईपिस्ट का कार्य करता था, उसका वादी प्रदीप कुमार गर्ग, अधिवक्ता के घर आना जाना था। दिनांक 27.11.2003 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया तथा उसके अपहरण के बदले 10 लाख रू0 वसूलने में असफल होने व अपहृत अभिषेक को उन पर शक हो जाने के कारण उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांट कर अलग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल में खेतों में दाब देने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी (बन्दी संख्या-16841) पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-101/2021/**1267**(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-101/2021/1267/22-2-2020-ई-17(470)/2020

दिनांक 16 जून, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, मौ0 सहाब राय, थाना-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बंदी तहसील में टाईपिस्ट का कार्य करता था, उसका वादी प्रदीप कुमार गर्ग, अधिवक्ता के घर आना जाना था। दिनांक 27.11.2003 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया तथा उसके अपहरण के बदले 10 लाख रू0 वसूलने में असफल होने व अपहृत अभिषेक को उन पर शक हो जाने के कारण उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांट कर अलग-2 बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल में खेतों में दाब देने का जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004, में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2020 तक 16 वर्ष 09 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 18.01.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से पास-पड़ौस में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी तहसील में टाईपिस्ट का कार्य करता था, उसका वादी प्रदीप कुमार गर्ग, अधिवक्ता के घर आना जाना था। दिनांक 27.11.2003 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र अभिषेक को बुलाकर ले गया तथा उसके अपहरण के बदले 10 लाख रू0 वसूलने में असफल होने व अपहृत अभिषेक को उन पर शक हो जाने के कारण उसकी हत्या कर लाश को दो भागों में बांट कर अलग-2 बोरों में भरकर कस्बा जानसठ के जंगल में खेतों में दाब देने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विकास शर्मा उर्फ मौनी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in